

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00406

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 40/2019 (सलेमान वगै0 बनाम बानो वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 17.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.12.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम टमकोर स्थित भूमि हाल ख0न0 186, 187, 188, 193, 380, 381, 382, 383, 384, 814, 815/1041, 823, 847, 848 कुल किता 14 कुल रकबा 12.19 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में सुलेमान पुत्र झाबर, सलाउदीन पुत्र झाबर के स्थान पर सलेमान पुत्र नूरा, सलामुदीन पुत्र नूरा दुरुस्त कर सलेमान पुत्र नूरा हिस्सा 1/24, सलामुदीन पुत्र नूरा हिस्सा 1/24, प्रतिवादी नं. 1 व 2 को गुलाब पुत्र नूरा के वारिसान की हैसियत से गुलाब के 1/24 हिस्सा भूमि में से प्रत्येक को 1/48-1/48, प्रतिवादी नं. 3 लगायत 8 को कुरड़ा के वारिसान की हैसियत से कुरड़ा की 1/24 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 को पपु उर्फ असगर के वारिसान की हैसियत से पपु उर्फ असगर के 1/96 हिस्सा में सम्पूर्ण हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 को कुरड़ा के वारिसान की हैसियत से प्रत्येक का अलग-अलग 1/96-1/96 हिस्सा दर्ज करने का आदेश जाता है तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 17.12.2024 को जारी की गई।



५१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर